भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3238
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में ग्रामीण परिवारों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की गुणवत्ता

3238. श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में ग्रामीण परिवारों को आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;
(ख) जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्थापित परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा संदूषण संबंधी मुद्दों, विशेषकर फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में, समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
(घ) ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और आजीविका पर जल जीवन मिशन का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ङ) ऐसे कितने परिवार हैं, जहां जल जीवन मिशन के कारण महिलाओं को पानी लाने के बोझ से मुक्ति मिली है;
(च) सरकार द्वारा जल संकटग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कवरेज प्राप्त हुआ है; और
(छ) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में चुनौतियों के समाधान के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान की गई/की जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को राज्यों की भागीदारी से

कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके तमिलनाडु सहित राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे पानी की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है।

(ख): कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) संबंधी गतिविधियों के लिए जेजेएम के अंतर्गत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपस्करों, उपकरणों, रसायनों, कांच से बनी वस्तुओं, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि भी शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, अनुवीक्षण और निगरानी के लिए सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करें ताकि वे ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट्स (एफटीके) का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण कर सकें तथा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दे सकें। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर दी गई अद्यतन सूचना के अनुसार, एफटीके का उपयोग करके जल परीक्षण के लिए 24.81 लाख से अधिक महिलाओं (तमिलनाडु में 62,898 सहित) को प्रशिक्षित किया गया है।

आज की तारीख तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर 2,182 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं (तमिलनाडु में 113 सहित) हैं। पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आम जनता के लिए नाममात्र दर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

(ग): जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम की स्थापना से अब तक 13,706 आर्सेनिक प्रभावित और 7,745 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों से कवर किए जाने की सूचना है। इसके अतिरिक्त, देश में 314 आर्सेनिक और 251 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटें ऐसी हैं जहां जेजेएम मानकों के अनुरूप पाइपगत जलापूर्ति स्कीमें अभी चालू की जानी हैं। तथापि, इन सभी बसावटों (आर्सेनिक के लिए 314 और फ्लोराइड के लिए 251) को अंतरिम उपाय के रूप में सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बसावटों को आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण से मुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) और (ङ): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जेजेएम के संभावित लाभों पर अध्ययन किया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे से अधिक की बचत हो सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ जेजेएम के हस्तक्षेप के बिना मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पानी इकट्ठा करने पर खर्च किए जाते हैं। समय की यह बचत आर्थिक लाभ और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा, डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि सभी परिवारों हेतु सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल उपलब्ध कराने से डायरिया संबंधी बीमारियों से होने वाली लगभग 4,00,000 मौतों को टाला जा सकता है और मिशन अवधि के दौरान 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) को रोका जा सकता है। इसके अलावा, माइकल क्रेमर के शोध पत्र से पता चलता है कि सुरक्षित पानी तक सार्वभौमिक पहुंच से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर में लगभग 30% की कमी हो सकती है, संभावित रूप से हर साल 1,36,000 बच्चों को बचा सकते हैं।

(च) और (छ): जेजेएम निधियों के आबंटन में ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना (एचएडीपी) और विशेष श्रेणी के पहाड़ी राज्यों के तहत उल्लिखित क्षेत्रों के लिए 30% का भारांक महत्व दिया गया है। जल संकट और सूखाग्रस्त क्षेत्रों सहित ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक नल जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल का प्रावधान करने के लिए 2019-20 से 2024-25 (17.03.2025 तक) तक जेजेएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, आहरित और उनके द्वारा उपयोग की गई केंद्रीय निधि का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

जल जीवन मिशन: 2019-20 से 2024-25 में केंद्रीय निधि आवंटन, आहरित निधि और संसूचित उपयोग की गई निधि

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	केंद्रीय हिस्सा				राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटित निधि	जारी की गई राशि	व्यय	
2019-20	2,436.37	11,139.21	9,951.81	5,983.49	4090.79
2020-21	6,447.36	23,033.02	10,917.86	12,544.51	7,905.45
2021-22	4,825.92	92,308.77	40,009.77	25,326.67	18,226.18
2022-23	19,510.05	1,00,789.77	54,742.30	50,667.81	40,147.74
2023-24	23,584.58	1,32,936.83	69,885.01	82,295.58	69,219.37
2024-25*	11,180.11	69,926.68#	22,341.74	27,333.70	33,616.09

*17.03.2025 तक स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस # केवल 22,694 करोड़ रुपये के उपयोग तक सीमित

इसके अलावा, आरएलबी/पीआरआई को 15वें वित्त आयोग के तहत 2,36,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1,42,084 करोड़ रुपये की राशि का 60% सशर्त अनुदान 1) पेयजल आपूर्ति और 2) स्वच्छता पर खर्च किया जाना है।